भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

विधायी विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *291

जिसका उत्तर शुक्रवार, 08 अगस्त, 2025 को दिया जाना है

**साइबर अपराध से संबंधित कानूनों को सुदृढ़ बनाना**

***291. श्री जी. कुमार नायक :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, देशभर में साइबर अपराध के 52,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए तथा साइबर धोखाधड़ी के मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ;

(ख) देश में साइबर अपराधों से निपटने के लिए वर्तमान कानूनी ढाँचा क्या है और क्या सरकार फ़िशिंग, रैंसमवेयर और क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित धोखाधड़ी जैसे उभरते खतरों से निपटने के लिए कोई संशोधन या नया कानून लाने की योजना बना रही है ;

(ग) क्या सरकार को राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से विशेष साइबर अपराध न्यायालयों की स्थापना से संबंधित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्रवाई की गई है ;

(घ) जनवरी 2025 की स्थिति के अनुसार, साइबर अपराध से संबंधित कितने मामले न्यायालयों में लंबित हैं और उनका शीघ्र समाधान करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ; और

(ङ) साइबर अपराध संबंधी मामलों में अभियोजन की स्थिति में सुधार के लिए न्यायपालिका, प्रवर्तन एजेंसियों और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के बीच सहयोग को सुदृड़ करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);**
**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

**(क) से (ङ) :** एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

**'साइबर अपराध से संबंधित कानूनों को सुदृढ़ बनाने" के संबंध में तारांकित प्रश्न सं. *291, जिसका उत्तर तारीख 08/08/2025 को दिया जाना है के भाग (क) से भाग (ड.) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।**

**(क) :** एनसीआरबी द्वारा प्रकाशित "भारत में अपराध 2022" रिपोर्ट में उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2022 में साइबर अपराधों के अधीन कुल 65,893 मामले रजिस्ट्रीकृत किए गए थे और सारणी 9क-1 में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार वर्ष 2020-2022 के साइबर अपराध के आंकड़े दिए गए हैं **(उपाबंध-1)** ।

**(ख) :** वर्तमान में, भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 (2023 का 47) के साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) देश में साइबर अपराध विधियों का समाधान करने के लिए एक मजबूत विधिक कार्य ढांचे का उपबंध करता है।

**(ग) :** जी, नहीं।

**(घ) :** न्यायालयों में लंबित साइबर अपराधों के बारे में मामलों के कोई पृथक आंकड़ें नहीं रखे जा रहे हैं। तथापि, न्यायालय सामान्यतः कार्यवाहियों के शीघ्र समापन के लिए अपनी ओर से सभी कदम उठा रहे हैं।

**(ड.) :** भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र अपने विधि प्रवर्तन अभिकरण (एलईए) के माध्यम से साइबर अपराध सहित अपराधों की रोकथाम, पता लगाने, अन्वेषण और अभियोजन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। केंद्रीय सरकार, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की पहलों को, उनके विधि प्रवर्तन अभिकरण (एलईए) की क्षमता निर्माण हेतु विभिन्न योजनाओं के अधीन सलाह और वित्तीय सहायता के माध्यम से अनुपूरित करती है।

साइबर अपराधों से व्यापक और समन्वित रीति से निपटने के लिए तंत्र को मजबूत करने के लिए, केंद्रीय सरकार ने *अन्य बातों के साथ-साथ,* कदम उठाए हैं, जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं: -

*(i)* गृह मंत्रालय ने देश में सभी प्रकार के साइबर अपराधों से समन्वित और व्यापक रीति से निपटने के लिए एक संबद्ध कार्यालय के रूप में 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र' (आई4सी) की स्थापना की है।

*(ii)* आई4सी *के एक भाग के रूप में,* 'राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल' *(https://cybercrime.gov.in)* आरंभ किया गया है ताकि आम जनता विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराधों पर सभी प्रकार के साइबर अपराधों से संबंधित घटनाओं की रिपोर्ट कर सके। इस पोर्टल पर रिपोर्ट किए गए साइबर अपराध की घटनाओं, एफआईआर में उनके रूपांतरण और उन पर पश्चातवर्ती कार्रवाई, विधि के उपबंधों के अनुसार संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के विधि प्रवर्तन अभिकरणों द्वारा की जाती है।

*(iii)* वित्तीय धोखाधड़ी की तत्काल रिपोर्ट करने देने और धोखेबाजों द्वारा धन की हेराफेरी रोकने के लिए, आई4सी के अधीन 'नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली' (सीएफसीएफआरएमएस) वर्ष 2021 में आरंभ की गई है। आई4सी द्वारा प्रचालित सीएफसीएफआरएमएस के अनुसार, अब तक 17.82 लाख से अधिक शिकायतों में 5,489 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय रकम बचाई गई है। ऑनलाइन साइबर शिकायत दर्ज कराने में सहायता प्राप्त करने के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर '1930' आरंभ किया गया है।

*(iv)* आई4सी में एक साइबर धोखाधड़ी शमन केंद्र (सीएफएमसी) स्थापित किया गया है, जहां प्रमुख बैंकों, वित्तीय मध्यवर्तियों, भुगतान एग्रीगेटर्स, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, आईटी मध्यवर्तियों और राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के विधि प्रवर्तन अभिकरणों के प्रतिनिधि साइबर अपराध से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई और निर्बाध सहयोग के लिए मिलकर कार्य कर रहे हैं।

*(v)* अब तक पुलिस प्राधिकारियों द्वारा की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार द्वारा 9.42 लाख से अधिक सिम कार्ड और 2,63,348 आईएमईआई बंद किए जा चुके हैं।

*(vi)* गृह मंत्रालय ने 'महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी)' योजना के अधीन राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को उनकी क्षमता निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है, जैसे साइबर फोरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना, कनिष्ठ साइबर सलाहकारों की भर्ती और एलईए कर्मियों, लोक अभियोजकों और न्यायिक अधिकारियों का प्रशिक्षण। 33 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों अर्थात् आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा, मेघालय, नागालैंड, दादरा और नागर हवेली और दमण और दीव, पंजाब, त्रिपुरा, पुडुचेरी, चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, पश्चिमी बंगाल, झारखंड, मणिपुर, अंदमान और निकोबार द्वीप और दिल्ली में साइबर फोरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशालाएँ आरंभ की गई हैं। तमिलनाडु में प्रयोगशाला आंशिक रूप से कार्यरत हैं।

*(vii)* आई4सी के एक भाग के रूप में, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र पुलिस के अन्वेषण अधिकारियों (आईओ) को प्रारंभिक चरण की साइबर फोरेंसिक सहायता प्रदान करने के लिए, नई दिल्ली में आधुनिक 'राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला (अन्वेषण)' की स्थापना की गई है। अब तक, राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला (अन्वेषण) ने साइबर अपराधों से संबंधित लगभग 12,460 मामलों में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के एलईए को अपनी सेवाएँ प्रदान की हैं।

*(viii)* गृह मंत्रालय का आई4सी, सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करने, क्षमता निर्माण बढ़ाने आदि के लिए नियमित रूप से 'राज्य कनेक्ट', 'थाना कनेक्ट' और सहकर्मी शिक्षण सत्र का आयोजन कर रहा है।

*(ix)* साइबर अपराध अन्वेषण, फोरेंसिक, अभियोजन आदि के महत्वपूर्ण पहलुओं पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम के माध्यम से पुलिस अधिकारियों/न्यायिक अधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए आई4सी के अधीन बड़े पैमाने पर खुले ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसी) प्लेटफॉर्म, अर्थात् 'साइट्रेन' पोर्टल विकसित किया गया है। राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के 1,05,796 से अधिक पुलिस अधिकारी रजिस्ट्रीकृत हैं और पोर्टल के माध्यम से 82,704 से अधिक प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं।

*(x) समन्वय* प्लेटफॉर्म को प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) प्लेटफॉर्म, डाटा भंडार और साइबर अपराध डाटा साझाकरण और विश्लेषण के लिए एलईए के समन्वय मंच के रूप में कार्य करने के लिए प्रचालित किया गया है । यह विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में साइबर अपराध की शिकायतों में शामिल अपराधों और अपराधियों के विश्लेषण-आधारित अंतरराज्यीय संयोजन का उपबंध करता है। '*प्रतिबिंब*' मॉड्यूल क्षेत्राधिकार प्राप्त अधिकारियों को दृश्यता प्रदान करने के लिए मानचित्र पर अपराधियों और अपराध अवसंरचना के अवस्थानों को दर्शाता है। यह मॉड्यूल आई4सी और अन्य विषय विशेषज्ञों (एसएमई) से एलईए द्वारा तकनीकी-विधिक सहायता प्राप्त करने की सुविधा भी प्रदान करता है। इसका परिणाम, अब तक 12,987 अभियुक्तों की गिरफ्तारी, 1,51,984 संयोजन और 70,584 साइबर अन्वेषण सहायता अनुरोध प्राप्त करना हैं।

**********

**सारणी 9क.1**

**साइबर अपराध (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार)- 2020-2022**

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्यक्षेत्र | 2020 | 2021 | 2022 | मध्य-वर्ष अनुमानित जनसंख्या (लाख में) | कुल साइबर अपराधों की दर (2022) | चार्जशीट दर (2022) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] |
| **राज्य:** | | | | | | | |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 1899 | 1875 | 2341 | 530.3 | 4.4 | 16.8 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 30 | 47 | 14 | 15.5 | 0.9 | 50.0 |
| 3 | असम | 3530 | 4846 | 1733 | 354.9 | 4.9 | 14.0 |
| 4 | बिहार | 1512 | 1413 | 1621 | 1255.3 | 1.3 | 69.3 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 297 | 352 | 439 | 299.5 | 1.5 | 78.8 |
| 6 | गोवा | 40 | 36 | 90 | 15.7 | 5.7 | 37.5 |
| 7 | गुजरात | 1283 | 1536 | 1417 | 709.3 | 2.0 | 62.9 |
| 8 | हरियाणा | 656 | 622 | 681 | 299.7 | 2.3 | 58.0 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 98 | 70 | 77 | 74.4 | 1.0 | 62.3 |
| 10 | झारखंड | 1204 | 953 | 967 | 391.4 | 2.5 | 63.6 |
| 11 | कर्नाटक | 10741 | 8136 | 12556 | 674.1 | 18.6 | 21.1 |
| 12 | केरल | 426 | 626 | 773 | 356.8 | 2.2 | 58.4 |
| 13 | मध्य प्रदेश | 699 | 589 | 826 | 858.9 | 1.0 | 85.2 |
| 14 | महाराष्ट्र | 5496 | 5562 | 8249 | 1257.4 | 6.6 | 30.5 |
| 15 | मणिपुर | 79 | 67 | 18 | 32.0 | 0.6 | 0.0 |
| 16 | मेघालय | 142 | 107 | 75 | 33.3 | 2.3 | 6.1 |
| 17 | मिजोरम | 13 | 30 | 1 | 12.3 | 0.1 | 0.0 |
| 18 | नगालैंड | 8 | 8 | 4 | 22.2 | 0.2 | 10.0 |
| 19 | ओडिशा | 1931 | 2037 | 1983 | 460.8 | 4.3 | 11.4 |
| 20 | पंजाब | 378 | 551 | 697 | 306.0 | 2.3 | 58.8 |
| 21 | राजस्थान | 1354 | 1504 | 1833 | 804.4 | 2.3 | 40.5 |
| 22 | सिक्किम | 0 | 0 | 26 | 6.8 | 3.8 | - |
| 23 | तमिलनाडु | 782 | 1076 | 2082 | 767.1 | 2.7 | 69.8 |
| 24 | तेलंगाना | 5024 | 10303 | 15297 | 379.5 | 40.3 | 17.1 |
| 25 | त्रिपुरा | 34 | 24 | 30 | 41.2 | 0.7 | 22.5 |
| 26 | उत्तर प्रदेश | 11097 | 8829 | 10117 | 2340.9 | 4.3 | 45.3 |
| 27 | उत्तराखंड | 243 | 718 | 559 | 115.6 | 4.8 | 24.3 |
| 28 | पश्चिमी बंगाल | 712 | 513 | 401 | 987.6 | 0.4 | 73.0 |
| | **कुल राज्य** | **49708** | **52430** | **64907** | **13403.0** | **4.8** | **29.3** |
| **संघ राज्यक्षेत्र:** | | | | | | | |
| 29 | अंदमान और निकोबार द्वीप | 5 | 8 | 28 | 4.0 | 7.0 | 63.6 |
| 30 | चंडीगढ़ | 17 | 15 | 27 | 12.2 | 2.2 | 42.1 |
| 31 | दादरा और नागर हवेली और दमण और | 3 | 5 | 5 | 12.0 | 0.4 | 71.4 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | दीव | | | | | | |
| 32 | दिल्ली | 168 | 356 | 685 | 211.0 | 3.2 | 89.3 |
| 33 | जम्मू- कश्मीर | 120 | 154 | 173 | 135.4 | 1.3 | 43.1 |
| 34 | लद्दाख | 1 | 5 | 3 | 3.0 | 1.0 | 0.0 |
| 35 | लक्षद्वीप | 3 | 1 | 1 | 0.7 | 1.4 | 0.0 |
| 36 | पुडुचेरी | 10 | 0 | 64 | 16.2 | 3.9 | 72.7 |
| **कुल संघ राज्यक्षेत्र<br>संपूर्ण भारत** | | **327<br>50035** | **544<br>52974** | **986<br>65893** | **394.5<br>13797.5** | **2.5<br>4.8** | **70.0<br>29.6** |

+ 'अपराध दर की गणना प्रति एक लाख जनसंख्या में अपराध के रूप में की जाती है।

9क.1पृष्ठ 1का 1

- जनसंख्या स्रोत: जनसंख्या अनुमानों पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट (जुलाई, 2020) राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार
- राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की तुलना नहीं की जा सकती ।

**********